

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2009/900


दिनांक : 21.12.2009

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क.सं. नाम	पद	कहाँ से	कहाँ को
1 सरस्वती देवी	एएनएम	उपकेन्द्र, मोडीखुर्द, नागौर	राज.डिस्पेंसरी, रामनगर, अजमेर
2 मानसिंह मीना	नर्स-2	सा.स्वा.के., नोखा, बीकानेर	सामा.चिकि., करौली
3 अर्जुन राम चौधरी	नर्स-2	एडपोस्ट, गुगा, बाडमेर	सा.स्वा.के., कवास, बाडमेर
4 शारदा श्रीमाली	नर्स प्रथम	सा.स्वा.के., मथानिया, जोधपुर	महा.गांधी चिकि., जोधपुर
5 मरिअम्मा मैथ्यू	एलएचवी	प्रा.स्वा.के., गोनैडा, जयपुर	ख.मु.चि.अ., दूदू, जयपुर के अधीन
6 देवकुमार सोलंकी	नर्स-2	जे.के.लोन चिकि., जयपुर	ख.मु.चि.अ., चाकसू, जयपुर के अधीन
7 मुकेश बाई	एएनएम	उपकेन्द्र, सकतपुरा, बारा	मु.चि.एवं स्वा.अ., हनुमानगढ के अधीन

1. संबिधा/ रिवर्स डेपुटेशन/ एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारी / ग्रामीण नर्स-2/ ग्रामीण लैब टेक्नीशियन/ ग्रामीण एएनएम के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं होगी। बाडमेर एवं जैसलमेर जिले में कार्यरत अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं की जावे। कार्यमुक्त करने वाले / कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इस शर्त की पालना सुनिश्चित करें।
2. जिन कर्मचारियों का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन किया गया है, उनका पदस्थापन/समायोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने जिले में रिक्त पद पर किया जावेगा।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2009/900

दिनांक : 21.12.2009

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, जनस्वास्थ्य/प.क./एड्स/आईईसी/ईएसआई/भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
5. संबधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडीकल कॉलेज, राजस्थान।
6. संबधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- राजस्थान।
7. संबधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, राजस्थान।
8. संबधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. संबधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. संबधित उप/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), राजस्थान।
11. संबधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
12. संबधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी/संबधित अधिकारी।
13. संबधित कर्मचारी को पालनार्थ।
14. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर